

रजिरट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-डब्लू०/एन०पा०-91/2008-10 लाइसेन्स दू पोस्ट ऐट कंन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग—1, खण्ड (क) (उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 27 अगस्त, 2009 भाद्रपद 5, 1931 शक सम्वत्

> उत्तर प्रदेश सरकार विधायी अनुभाग-1

संख्या 1230 / 79-वि-1+-09-1(क)21-2009 लखनऊ, 27 अगस्त, 2009

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009 पर दिनांक 26 अगस्त, 2009 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2009 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2009) [जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

- ়া—(1) यहं अधिनियम उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर '(तृतीय संशोधन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम और ত্যুত্ত কল্ল্ जायेगा।
- (2) ,यह अधिनियम ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियंत करे।

उत्तर प्रदेश ,अधिनियम राख्या 5 रान् 2008 की धारा 49 का संशोधन 2--उत्तर प्रदेश भूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 जिसे आमे मूल अधिनियम कहालाफ है. की धारा 49 की निकाल दिया जायेगा।

घारा ५० का संशोधन

3-गूल अधिनियम की धारा 50 में.-

(क) उपधारा (1) के रथान पर निग्नलिखित उपधारा रख दी जायंगी, अर्थात:-

"(1) कोई व्यक्ति (जिसे इस धारा में आगे आयातकती कहा गया है), जा राज्य के बाहर के किसी रथाग से राज्य के गीतर कारबार के राग्वन्ध में अनुराची—1 में नामित एवं विगत वस्तुओं से गिन्न ऐसी मात्रा या गाप या मूल्य का गाल जैसा कि राज्य सारकार द्वारा इस निगत अधिसूचित किया जाय, ताने आयात करने या अन्यथा प्राप्त करने या तो निर्धारक अधिकारी से जिसकी अधिकारिता इस क्षेत्र गर्र हो जहाँ इस व्यक्ति के कारवार का मुख्य रथान स्थित है या यदि ऐसा कोई रथान नहीं हो जहाँ पर साधारणतया वह निवास करता है यथाविहित रीति से निर्धारित घोषणा करेगा प्राप्त करेगा या यथाविहित रीति से विभागीय वेव साईट से डाउनलोड करेगा

प्रतियन्ध यह है कि यदि आयातकर्ता कारवार के राग्यन्ध से भिन्न प्रयोजनाहक लिए ऐसे गाल को लागे आयात करने या अन्यथा प्राप्त करने का इच्छुक हो तो जह अपने विकल्प पर उसी प्रकार प्रभाण-पत्र का निर्धारित अपन्न प्राप्त कर सकता है।

(আ) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित उपनारा रक्ष दी जारोगी, अर्थात्ल

"(3) पूर्ववर्ती उपधाराओं में निर्दिष्ट कोई माल ले जाने वाली किसी गाँडी का झाइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति गाडी को धारा 45 की उपधारा (1) या धारा 43 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा किये जाउँ पर रोकेंगा और उसे तब तक रोक रखेगा जब तक कि मधारिशित धारा 45 की उपधारा (1) या धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिकारी द्वारा आवश्यक रामझा जाय और उसे भाड़ी की तलाक्षी लेने देवा और माल को तथा पूर्ववर्ती उपधाराओं में निर्दिष्ट राभी लेख पश्चें का निरीक्षण करने देगा और बाधिकारी ऐसी अपेक्षा की जाय तो उसे अपना नाम और महा और माडी के रवाणिकीरी वाल के पारंगक और पारंगिती का नाम और महा चीर माडी के रवाणिकीरी

धारा ५२ का संशोधन 4- मूल अधिनियम की धारा 52 के स्थान पर निम्नालिखित धारा रख दी जायेगी अधिति

"52-जाव राज्य से बाहर किसी स्थान से आनं वाली और राज्य के बाहर शाया से होकर किसी अन्य स्थान को जान वाली और धारा 50 की जाहारी मुज़रने वाले माल को लिए उनके। (1) में निर्दिष्ट माल ले जाने वाली कोई मार्डा राज्य से होकर के ख़ुज़रे तब ऐसी मार्डी का झुड़बर या अन्य प्रभारी चर्मवेल राज्य में ऐसे दस्तावजी की रूपार तब ऐसी मार्डी का झुड़बर या अन्य प्रभारी चर्मवेल राज्य में ऐसे दस्तावजी की रूपार तब ऐसी मार्डी का झुड़बर या अन्य प्रभारी चर्मवेल राज्य में ऐसे दस्तावजी की रूपार तिथा जाया और ऐसा मार्चिक राज्य जाया जाया और ऐसा मार्चिक साम लिया जाया जाया और ऐसा मार्चिक साम लिया जाया जाया और स्थान के किस के जिल्हा का मार्चिक मार्चिक से स्थान के जिल्हा के स्थान के जिल्हा के जिल्ह

सार्था ५४ ०५

5 मूल अभिनियम हो। वर्षा के प्रवासन (1) के व्यक्तित में क्रमांक 9 और है। प्रतिदिशा के स्थान पर निम्मालिकित मार्जाहेंत्या क्रमांस स्तरमंत्रक एक भी आयोगी अर्थात के

(1)	(2)	(3)
" <u>9</u>	ग्रथारिथिति व्यवहारी या अन्य व्यक्ति धारा 45 या धारा 48 के अधीन सशक्त किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निष्पादन करने में व्यवधान डालता है या उसे रोकता है।	रिजस्ट्रीकृत व्यवहारी के मामले में पांच हजार रुपये और अन्य के मामले में उसकी पांच गुना धनराशि।
15.	जहाँ, यथास्थिति, चालक या वाहन प्रभारी व्यक्ति.— (एक) धारा 52 के अधीन निर्दिष्ट दस्तावेजों को साथ में रखने में विफल होता है और यह भी प्रमाणित करने में विफल रहता है कि वाहन में रखा माल राज्य के वाहर के व्यवहारियों या व्यक्तियों को परिदत्त करने के लिए है; या (दो) राज्य से होकर गाल के गुजरने हेतु ऐसे दस्तावेजों के रहते हुए माल को राज्य से बाहर ले जाने के लिए राज्य के अन्दर वास्तविक व्यक्ति को ऐसा गाल सौंपने का उत्तरदायित्व ग्रहण करता है किन्तु ऐसे गाल को ऐसे वास्तविक व्यक्ति को सौंपने में विफल रहता है; या	माल ़के मूल्य का 40 प्रतिशतं
	(तीन) ऐसा व्यक्ति होते हुए. जो चालक या वाहन प्रभारी व्यक्ति से भाल राज्य से बाहर ले जाने के लिए प्राप्त करता है, राज्य के बाहर ऐसे गाल को नहीं ले जाता है; या (चार) परिवाहक या वाहन या भाड़ेदार होते हुये, राज्य के बाहर गाल के मिथ्या गंतव्य स्थल को दर्शांते हुए माल की रसीद तैयार करता हो;"	

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 माल के विक्रय या क्रय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रह के लिए मूल्य संवर्धित व्यवस्था को प्रारम्भ करने हेतु उपयन्धित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। जाँच चौिकयों और नाकों के कारण व्यक्तियों, जिनमें व्यापारी एवं उद्यमी सम्मिलत हैं, को होने वाली असुविधा को दूर करने तथा अवाध व्यापार एवं वाणिज्य को सुगम बनाने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि गुख्य रूप से निम्नलिखित व्यवस्था करने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन किया जाय,

- (क) जाँच चौकियों और नाकों की स्थापना के प्रावधान को निकाल दिया जाए.
- (ख) व्यापारी को विभागीय वेक्साइट से आयात हेतु घोषणा का प्रपत्र डाउन लोड करना अनुमन्य किया जाय,
- (म) राज्य से वाहर किसी स्थान से आने वाली और राज्य के वाहर किसी अन्य उच्चा को ने वाली और घारा 50 की उपधारा (1) में उल्लिखित माल ले जाने वाली गाड़ी के घालक वा अपन प्राप्त प्राप्त के उत्तर व्यावित से ऐसे दस्तावेजों को रखने की अपेक्षा करना जैसे विहित किये जाँय।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009 तद्नुसार पुरःस्थापित किया जाता है।

> आज्ञा से, प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा, सचिव।

No. 1230 (2)/LXXIX-V-1-09-1(Ka)-21-2009 Dated Lucknow, August 27, 2009

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mulya Samvardhit Kar (Tritiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2009 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 22 of 2009) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 26, 2009.

THE UTTAR PRADESH VALUE ADDED TAX (THIRD AMENDMENT) ACT, 2009.

(U.P. ACT No. 22 of 2009)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

ΑN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008.

IT IS HEREBY enacted in the Sixtieth year of the Republic of India as follows:-

short title

- 1. This Act may be called the Uttar Pracesn Value Added Tax (Initu Amendment) Act, 2009.
- (2), it shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Amendment of section 49 of U.P. Act no. 5 of 2008 Amendment of section 50

- 2. Section 49 of the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 hereinafter referred to as the principle Act, shall be omitted.
 - 3. In section 50 of the principle Act,-
 - (a) for sub-section (1) the following sub-section shall be substituted, namely:-
 - "(1) Any person (hereinafter in this section reserved to as the importer) who intends to bring, import or otherwise receive, into the State from any place outside the State any goods other than the goods named and described in Schedule-I in such quantity or measure or of such value, as may be notified by the State Government in this behalf, in connection with business, shall either obtain the prescribed form of declaration in such manner as may be prescribed from the assessing authority having jurisdiction over the area, where his principle place of business is situated or, in case there is no such place, where he ordinarily resides or shall download from official web site of the department in such manner as may be prescribed:

Provided that where the importer intends to bring, import of otherwise receive such goods otherwise than in connection with business, he may, at his option, in the like manner obtain the prescribed form of certificate."

(b) for sub-section (3) the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(3) The driver or other person-in-charge of any vehicle carrying any goods referred to in the preceding sub-sections shall stop the vehicle when so required by an officer authorised under sub-section (1) of section 45 or sub-section (1) of section 48 and keep it stationary for so long as may be considered necessary by the officer authorised under sub-section (1) of section 45 of sub-section (1) of section 48, as the case may be, and allow him to search the vehicle and inspect the goods and all documents referred to in the preceding sub-sections and shall, if so required, give his name and address and the names and addresses of the owner of the vehicle and of the consignor and the consignee of the goods."

4. For section 52 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:

Amendment of section 52

Provision for goods passing through the State and carrying goods referred to in sub-section (1) of section 50, passes through the State and carrying goods carry such documents as may be prescribed failing which it shall be presumed that the goods carried thereby are meant for sale within the State by the owner or person in charge of the vehicle."

5. In section 54 of the principle Act, in sub-section (1), in the table for the entries at serials 9 and 15 the following entries shall *column-wise* be *substitute l*, respectively, namely:

Amendment of section 54

(1) (2)

"9 The dealer or other person, as the case may be, obstructs or prevents an officer empowered under section 45 or section 48 from performing any of his functions under this Act;

A sum of rupees five thousand in case of registered dealer and five times thereof in case of others

- 15. Where the driver or person in charge of the vehicle, as the case may be,-
 - (i) fails to carry documents referred to in section 52 and also fails to prove that goods carried in his vehicle are meant for delivery to dealers or persons outside the State; or .
 - (ii) while carrying such documents for transit of goods through the State undertakes responsibility of 'handing over such goods to a bonafide person inside the State for carrying them outside the State but fails to hand over such goods to such bonafide person; or
 - (iii) being a person, who receives any goods from driver or person in charge of a vehicle for carrying them outside the State, dose not carry such goods outside the State; or
 - (iv) being a transporter or hirer of a vehicle prepares goods-receipt by showing false destination of goods outside the State;"

40% of the value of goods

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 has been enacted to provide for introducing Values Added System of taxation for levy and collection of tax on sale or purchase of goods. With a view to removing inconvenience to persons including traders and entrepreneurs due to check-posts and barriers established under the said Act and for facilitating free trade and commerce, it has been decided to amend the said Act mainly to provide for,-

- (d) omitting the provisions for the establishment of check-post and barriers:
- (e) allowing the dealer to download the Form of declaration for import, from the official websitess of the department;
- (f) requiring the driver or other person in charge of the vehicle coming from any place outsides the State and bound for any other place outside the State and carrying goods mentioned subsection (1) of section 50, to carry such documents as may be prescribed.

The Uttar Pradesh Value Added Tax (Third Amendment) Bill, 2009 is introduced accordingly.

By order, P.V. KUSHWAHA, Sachiv.